महत्वपूर्ण

पत्रसं0-19/2025/बी-1-1622/दस-2025

प्रेषक,

डॉ0 सारिका मोहन,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव /, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्षक्षप्रमुख कार्यालयाध्य /, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2025

विषयः केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की SNA-SPARSH पर ऑनबोर्डिंग।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या -11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें।

1. उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 (ख)(4) में यह उल्लिखित है कि साइबर ट्रेजरी को ऑनलाइन बिल अग्रेषित करने के साथ हीबिल के प्रिंटआउट (फार्म-103) के साथ अन्य इंगित अभिलेखों के साथ मैनुअल बिल फार्म103- भी साइबर ट्रेजरी को प्रस्तुत किया जायेगा।

2. महालेखाकार, उ0प्र0 के पत्रांक टी.एम.-1/वर्ग -II/एस.एन.ए.स्पर्श 45381/दिनांक 07 नवम्बर, 2025 द्वारा SNA-SPARSH के अन्तर्गत साइबर ट्रेजरी में प्रस्तुत किये जा रहे देयकों हेतु कोषागार देयक प्रपत्र 103-की Digitally Signed हार्ड कॉपी को मासिक लेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने हेतु सहमति प्रदान कर दी गयी है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार, उ0प्र0 के उपरोक्त पत्र दिनांक 07नवम्बर, 2025 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में साइबर ट्रेजरी में SNA-SPARSH के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले ऑनलाइन बिल का Digitally Signed प्रिन्ट आउट जो SNA /प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत किया जायेगा तथा मैनुअल बिल फार्म103- प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नही होगी।

शासनादेश संख्या -11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26 सितम्बर, 2025 का प्रस्तर-3 (ख)(4) उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त शासनादेश की शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

3. कतिपय विभागों द्वारा इंगित समस्याओं के दृष्टिगत SNA SPARSH मॉड्यूल पर कार्यविधि को अधिक सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से निम्नानुसार कार्यवाही का भी निर्णय लिया गया है -:

(1) आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तरों पर एक से अधिक मेकर एवं चेकर पंजीकृत किये जा सकते है।

(2) PFMS द्वारा उपलब्ध कराई गयी Account Validation Facility का उपयोग कर Beneficiary Approval का कार्य इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के स्तर पर किया जायेगा तथा इस हेतु beneficiary file एस0 एन0 ए0 को अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) सम्प्रति SNA-SPARSH मॉडयूल में इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सीज द्वारा जेनेरेट किये जाने वाले बिल, SNA को अग्रेषित किये जाते है तथा SNA स्तर पर बिलों का समेकन (Consolidation) किया जाता है एवं तत्पश्चात समेकित (Consolidated)बिल साईबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जाते है। इस व्यवस्था में निहित कठिनाइयों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि SNA-SPARSH मॉडयूल को संशोधित करते हुए इम्पलीमेंटिंग एजेन्सीज द्वारा सृजित बिल जनपद स्तरीय एडमिन के माध्यम से जनपदीय कोषागारों को अग्रेषित किये जायेंगे जिन्हें जनपदीय कोषागारों द्वारा साईबर ट्रेजरी को अग्रेषित किया जायेगा । बिलों का समेकन साईबर ट्रेजरी स्तर पर किया जायेगा।

SNA-SPARSH मॉडयूल में उपरोक्त संशोधन होने तक वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती रहेगी।

भवदीया,

डॉ0 सारिका मोहन
सचिव, वित्त ।

पत्रसं0-19/2025/बी-1-1622/दस-2025, तद्दिनांक-:

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारीद्वितीय/प्रथम (, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य इकाई , सूचना विज्ञान केन्द्र , योजना भवन, लखनऊ।
3. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी,साइबरट्रेजरी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त, वित्त अनुभाग (व्यय नियंत्रण), उ०प्र०, शासन।
7. उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेषसचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।